फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ (चूरू)

"राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11.02.2023"

हनुमानसिंह बनाम राज. सरकार

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट   न.मु.– 11/2023   GCMS No. – 2023/17

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.02.23	(see below)	

11.02.23

यह प्रार्थना–पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी श्री हनुमानसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत निवासी देवाणी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व रिकॉर्ड में रोही देवाणी जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 259 में हड़मानसिह पुत्र मंगेजसिह जाति राजपूत निवासी देवाणी खातेदार दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार हनुमानसिंह पुत्र मेघसिंह है। प्रार्थी का नाम हनुमानसिंह पुत्र मेघसिंह किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सुजानगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि रोही देवाणी की जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 259 में हड़मानसिह पुत्र मंगेजसिह जाति राजपूत निवासी देवाणी खातेदार दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, पटवारी, भू. अ.नि. की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम हनुमानसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत निवासी देवाणी खातेदार है जो शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, दस्तावेजात एवं तहसीलदार सुजानगढ़ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में रोही देवाणी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 259 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं–

क्रं. स.	**ग्राम**	**खाता संख्या**	**वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)**	**आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)**
01	देवाणी	**259 (नया)**	**हड़मानसिह पुत्र मंगेजसिह जाति राजपूत निवासी देवाणी खातेदार**	**हनुमानसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत निवासी देवाणी खातेदार**

राहिन की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय [illegible] होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 को [illegible] राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2023.02.13 12:07:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़